

::1::

**प्ररूप 10**

**{ नियम 34(5) देखिए }**

**वर्जीनियां तम्बाकू के संसाधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रारूप**

रजिस्ट्रीकरण संख्या

एक वर्ष के लिए विधिमान्य

से

तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----पुत्र श्री -----  
निवासी ग्राम-----तालुक-----जिला -----राज्य -----  
मेसर्स -----को तम्बाकू बोर्ड के पास सूर्य संसाधित / वायु संसाधित / अन्य विनिर्दिष्ट करें (रूप में वर्जीनिया ) के  
संसाधक के रूप में नीचे दर्शित क्षेत्र के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 11 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया  
गया है। यह रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए हैं, अर्थात:-

1. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों और बोर्ड के सभी विनियमों का पालन करेगा;
2. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक उन रजिस्ट्रों को रखेगा और उन विवरणियों को प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा रखे जाने या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित हैं;
3. यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले उस क्षेत्र की विशिष्टियों जिससे हरी पत्तियों के संसाधन के लिए अभिप्राप्त की जानी हैं:-

ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	विस्तार
1.		
2.		
3.		

जोड़:

स्थान:

तारीख:

(रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)